रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 1984/वैसाख 10, 1906
No. 139] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 1984/VAISAKHA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1984

अधिसूचना

सा० का० नि० 314 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधि-नियम 1908 (1908 का 15) की धारा 34 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई महापत्तन के लिये उक्त अधिनियम की धारा 36 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात तटीय जलयानों को

(मुम्बई महापत्तन के भीतर चलने वाले बजरों को छोड़कर) उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन मुम्बई महापत्तन पर उद्ग्रहणीय कुल पत्तन शुल्क के दस प्रतिशत के बराबर शुल्क के संदाय से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है ।

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी जी एल/27/83]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1984

G.S.R.314 (E).—In exercise of the powers conferred by section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government, after consulting the authority appointed under section 36 of the said Act for the Major Port of Bombay, hereby exempts coastal vessels (except the barges plying within the Major Port of Bombay) from the payment of port-dues equal to 10 per cent of the total port-dues, leviable under section 33 of the said Act at the Major port of Bombay, for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PW|PGL|27|83]

सा० का० नि० 315(अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (8) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तटीय जलयानों को (मुम्बई महापत्तन के भीतर चलने वाले बजरों को छोड़कर) उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन मुम्बई महापत्तन में प्रभार्य मार्ग दर्शन फीस के दस प्रतिशत के बराबर मार्ग-दर्शन फीस की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष के लिये छूट प्रदान करती है ।

[फा० सं० पी डब्ल्यू/पी जी एल/27/83]

पी० वी० राव, संयुक्त सचिव

G.S.R. 315 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 35 of the Indian ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby remits, in the case of the coastal vessels (except the barges plying within the Major port

of Bombay), the fees for pilotage equal to 10 per cent (ten per cent) of the fees for pilotage chargeable under sub-section (1) of the said section at the Major port of Bombay for a period one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PW|PGL|27|83]

P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984